



अप्रार्थन का आदेश/ राजस्व सम्मन के तलब किया जावे।
पत्रावली दिनांक 14.06.2024 को पेश हो।


(राजवीर सिंह यादव)
सुपरीकृत अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)


14/6/24 वकील श्री उषा अग्रवाल अवगत वकील अनुपमिका
वत्स अवगत लगवती श्री। अवगत अनुपमिका
अतः अग्रवाल के विरुद्ध एव पट्टी नम्बरी 272/1
पत्ती व खाते वत्स पत्रावली दिनांक 27/6/24 को पेश


प्रा० पत्र संख्या:- 231/2024
अनिल बनाम भूमिधारी

7/6/2024

पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि ख.न. 272/1 कुल रकबा 0.20 हैक्ट. का प्रार्थी अपने हिस्सेनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। भूमि का दिनांक 22.05.2024 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम राजनगर पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नं. 272/1 कुल रकबा 0.20 हैक्ट. प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व समस्त खातेदारान व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 22.05.2024 पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी व पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।



(राजवीर सिंह)
सुपरीकृत अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)



आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम राजनगर पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना स्थित खसरा नं. 272/1 कुल रकबा 0.20 हैक्ट. प्रार्थी, समस्त खातेदारान व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्पक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 22.05.2024 पत्थरगढ़ी की जावे। दौरान पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहसीर जारी हो। पत्रावली बाद फ़ैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ़तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


(श्री. न. सिंह यादव)
तहसीलदार आधिकारी
नीमकाथाना (राजग.)